न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– महेन्द्र लोढा

अपील संख्या 59/2018 तारीख रजू 15.05.18

बदरी पुत्र कल्ला जाति जाट निवासी करीरा खुर्द तहसील खण्डार।

---अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ ---रेस्पोडेन्ट

आदेश दिनांकः– 27.07.2018

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 920/18 में पारित निर्णय 14.03.18 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम करीरा खुर्द के खसरा नम्बर 445/297 रकबा 3.00 बीघा किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित एवं फसल जप्त सरकार करने के साथ–साथ अपीलार्थी को पूर्ववर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिए सम्मन की गयी तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली तलब की गयी। प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान् वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपना आदेश स्वेच्छाचारी ढंग से पारित किया जो निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया है कि अदालत मातहत द्वारा अतिचार के सम्बन्ध में कोई मौका निरीक्षण नहीं किया बल्कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं उनके द्वारा कथनो का विश्वास किया गया है जबकि आप पास के पडौसियों के अतिचार होने नहीं होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं ली गयी है। अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 445/297 रकबा 2 बीघा किस्म चरागाह पर कोई कब्जा काश्त नहीं है वर्तमान समय

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

में उक्त विवादित आराजी खाली पडी है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट ने उपस्थित होकर अतिक्रमण नहीं होने का तथ्य प्रकट किया है किन्तु अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य को अनदेखा कर जैर अपील विधि के प्रावधानों के विपरीर आदेश पारित किया है। जो निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.18 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत रूप से सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 14.03.18 को उपस्थित हुआ किन्तु अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत पेश किये गये। अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय में कोई अनियमिता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेराकार सरकार की बहस सुनने एवं अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी अतिक्रमी के विरूद्व अतिचार किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी अतिक्रमी को सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया है, नोटिस की पालना मे अपीलार्थी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुआ। अतः अपीलार्थी का यह कथन है कि सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया, मान्य नहीं है। जहॉ तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये गये अतिचार के सम्बन्ध अदालत मातहत की पत्रावली मे पटवारी हल्का के बयान संलग्न है जिसे पूर्ववर्ती अतिचार सिद्व होता है। अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है जो मवशियों के पेट पालन एवं विचरण करने हेतु आरक्षित भूमि है। अतः मै अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में कोई फेरबदल करना उचित नहीं समझता हूॅ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.18 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.7.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर